न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या :2025/170

सिविल प्रकरण संख्याः– 38/2025

तारीख रजू 11.07.2025

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

गोवर्धन सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री रूपसिंह (विक्रेता एवं प्रोपराईटर) मैसर्स न्यू जोधपुर मिष्ठान भण्डार, गंगापुर मोड, मलारना डूंगर सवाईमाधोपुर निवासी कोलू पाबूजी, तह. लोहावट, जोधपुर

.... अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/ 51,54 & 58 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः– **दिनांक 15.10.2025**

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री नितेश गौतम खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान शुद्ध आहार मिलावट पर वार के तहत दिनांक 27.04.2025 को 12.15 पी.एम. पर मैसर्स न्यू जोधपुर मिष्ठान भण्डार पर पहुंचा वहां जो व्यक्ति मिला उसने अपना नाम गोवर्धन सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री रूपसिंह होना बताया एवं खाद्य रजिस्ट्रेशन/अनुज्ञापत्र एवं आधार कार्ड मांगने पर मौके पर नहीं होना बताया। उक्त संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि संस्थान में रखे डिस्पले काउन्टर फ्रीज में एक स्टील की ट्रे में 3–4 किलोग्राम **Burfi Sweets prepared by Milk and Sugar** आमजन को विक्रय हेतु रखे हुए थे। उक्त **Burfi Sweets prepared by Milk and Sugar** में गुणवत्ता/मिलावट का अंदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच 2 किलोग्राम खरीदकर उसकी कीमत 400/– रूपये गोवर्धन सिंह राजपुरोहित को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान ठण्डीराम मीना व वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे गोवर्धन सिंह राजपुरोहित ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5ए की एक प्रति गोवर्धन सिंह राजपुरोहित को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 2 किलोग्राम **Burfi Sweets prepared by Milk and Sugar** को हिलामिला कर एकरूप कर खाली स्टील के बर्तन में तुलवाकर खरीदकर विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी ... की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा **Burfi Sweets prepared by Milk and Sugar** ... प्रत्येक बोतल में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.12.11 10:40:48 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

बराबर–बराबर कर 40–40 बूंदे फॉर्मेलिन की डालकर बोतलो को ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं **H-3717** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक H-3717 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के एक आउटर कवॅर में लपेटकर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नूमना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसएए/2025/794 दिनांक 28.05.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/1855/एक्ट/2025/2054–A दिनांक 13.05.2025 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Burfi Sweets prepared by Milk and Sugar Substandard & the Sample is Food Containing Extraeous Matter (foreign fat) under section 3(1)(i) of FSS Act, 2006** प्रकृति का होना पाया गया है।

उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा **Burfi Sweets prepared by Milk and Sugar Substandard & the Sample is Food Containing Extraeous Matter** का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 54 में जुर्माना योग्य अपराध है एवं खाद्य रजिस्ट्रेशन/अनुज्ञापत्र मौके पर नहीं मिलना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 का उल्लंघन है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त उपस्थित हुये। अभियुक्त द्वारा प्रकरण का जवाब पेश गया किया। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान [illegible] कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्त ने **Burfi Sweets prepared by Milk and Sugar, Substandard & the Sample is Food Containing Extraeous Matter** का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.12.11 10:40:48 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त ने प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों का उल्लेख करते हुए बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अभियुक्त की फर्म से **खाद्य पदार्थ Burfi Sweets prepared by Milk and Sugar** का सेम्पल भरा गया था जिसको लेब द्वारा सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का माना गया है। अभियुक्त ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने का निवेदन किया है। अन्त मे अभियुक्त द्वारा प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूं कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/1855/एक्ट/2025/2054–A दिनांक 13.5.25 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ Burfi Sweets prepared by Milk and Sugar, Sub Standard & the Sample is Food Containing Extraeous Matter (foreign fat) under section 3(1)(i) of FSSAct, 2006** प्रकृति का होना पाया गया है। अभियुक्त द्वारा दौराने बहस गलती स्वीकार की है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51, 54 एवं 58 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के **खाद्य पदार्थ Burfi Sweets prepared by Milk and Sugar** का विक्रय/निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51, 54 व 58 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 20,000/–रू0 (अक्षरे बीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक **15.10.2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.12.11 10:40:48 IST
Reason: SelfAttested

(संजय [illegible])
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर